मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–53/16/2012/19/यो 1317 भोपाल दिनांक 28.02.2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल

विषयः– **नवीन निविदा प्रपत्रो में संशोधन बाबत्।**

संदर्भः–1 आपकी टीप क्रमांक 401/सा/विविध/002/2014/164 दिनांक 09.2.2015

2 आपका पत्र क्रमांक 401/सा/विविध/02/2014/50 दिनांक 15.01.2015

–0–

राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–53/16/2012/19/यो दिनांक 01.01.2014 से लागू नवीन निविदा प्रपत्र के आई.टी.बी. क्लाज 22 के सब क्लाज 22.2 कन्ट्रेक्ट डाटा के क्लाज 29 मे व सेक्शन –3 के सब क्लाज मे आपकी अनुशंसा के दृष्टिगत संलग्न प्रपत्र अनुसार संशोधन करता है।

सहपत्र–प्रपत्र

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक लो. नि. वि. (पी.आई.यू.) ग्वालियर (म.प्र.)
क्र. 731
27-3-2015

म0प्र0के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
27/2/15
(एस.के.कुलकर्णी)
उप सचिव
म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग

क्रमांक एफ–53/16/2012/19/यो 1318 भोपाल दिनांक 28.02.2015

प्रतिलिपिः–

1. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू भोपाल
2. समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग म0प्र0
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू म0प्र0 ग्वालियर
4. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग म0प्र0
5. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग म0प्र0
6. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग म0प्र0
7. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक निर्माण विभाग

27/2/15
उप सचिव
म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग

Ds/16

Addendum-1

1- BID DATA SHEET – following is added in last Row of Bid data sheet

CLAUSE REFERENCE	PARTICULATS	DATA
22	Additional performance security as per clause – 22.2 of ITB Valid upto	Till stipulated time of completion plus three months

2- CONTRACT DATA – following modification is done under clause reference 29 of contract data

CLAUSE REFERENCE	PARTICULATS	DATA
29	Performance Guarantee (Security) valid upto	Performance Guarantee (Security) valid upto Three months beyond the completion of defect liability period (Maintence Guarantee period) and Additional performance Guarantee valid upto stipulated time of completion plus 03 months

3- SECTION 3- CONDITION OF CONTRACT

Replace Sub Clause 30.3 of clause-30 Security deposits with the following :-

30.3- The Security Deposits shall be refunded on completion of defect liability perod. The additional performance security shall be refunded on satisfactory completion of the work.

22/2/15

(S.K. Kulkarni)
Deputy Secretary
Government of M.P.
Public Works Department

132

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1500 / 1246 / 2018 / 19 / यो भोपाल, दिनांक 06/04/2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

विषयः टेंडर डाक्यूमेंट में परफारमेंस गारंटी पीरियड एवं सिक्योरिटी डिपाजिट के सम्बन्ध में।
संदर्भः आपकी टीप क्रमांक सर्कुलर / सामान्य / लो.नि.वि. / 2018 / 270 दिनांक 15.03.2018

राज्य शासन एतद् द्वारा बिड डाक्यूमेंट में बिड डाटा शीट एवं कान्ट्रेक्ट डाटा शीट में आपके प्रस्ताव एवं अनुशंसा के दृष्टिगत निम्नानुसार संशोधन करता है :–

Clause No.	Particulars	Existing Data	Amended Data
18	Defect Liability Period as below	(A) For Road Works: (i) For New Road (Bituminous) Construction along with granular crust:- 5 Years. (ii) For New Road (Concrete) Construction – 5 Years; (iii) For Renewal with BT layer less than 30mm thick; - 3 Years. (iv) For Renewal with BT layer more than 30mm thick: 5 Years. (B) For Bridge Works – 5 Years to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issue of physical completion certificate as per "Annexure-U" Note : In accordance with clause 18.3 (GCC), the Engineer in Charge shall intimate the contractor about the cost assessed, for making good the defects, and if the contractor has not corrected defects, action for correction of defects shall be taken by the Engineer in Charge as below: (a) deploy departmental labour and material or (b) engage a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate or (c) sanction supplementary work in a existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work or (d) invite open tender or (e) combination of above (Amended vide Govt. Memo No. F-	(A) For Road Works : (i) For New Road (Bituminous) Construction along with granular crust (including strengthening) - 5 Years. (ii) For New Road (Concrete) Construction (including strengthening) – 5 Years. (iii) For Renewal with BT layer equal to or less than 30mm thickness – 3 Years. (iv) For Renewal with BT layer more than 30mm thickness: 5 Years. (B) For Bridge Works – 3 Years to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issuance of physical completion certificate as per "Annexure-U" (C) For Building Works – 3 Years (D) For Road Maintenance – 1 Year (The work of strengthening and renewal shall not be treated as road maintenance work) (E) For Building Maintenance Works – 1 Year (Except for water proofing works and the works in which specific guarantee period is mentioned). Note: In accordance with Clause 18 the defects observed in the works during the Defect Liability Period shall be intimated by the Engineer-

Clause No.	Particulars	Existing Data	Amended Data
		53/2/2011/19/Yo/2959 dt. 28-05-2015 & 03-05-2016)	in-Charge to the contractor and the contractor shall rectify the defects promptly. In case the defects are not removed in reasonable time, the same can be got done by the Engineer-in-Charge by way of – (a) deploying departmental labour and material or (b) engaging a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate or (c) sanctioning supplementary work in a existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work or (d) inviting open tender or (e) combination of above The Engineer-in-Charge shall assess the cost of such rectification which shall be recoverable from the contractor from his Performance Security or any amount due or that may become due to him and from other available securities. If this amount is not sufficient to meet the expenses incurred on rectification, the balance amount may be recovered as Land Revenue Arrears as per MPLRC.
29	Performance Guarantee (Security) shall be valid up to	Performance Guarantee (Security) should be valid up to three months beyond the completion of Defect Liability Period (Maintenance Guarantee Period) and Additional Performance Guarantee if any should be valid up to stipulated time of completion plus 03 months.	The upfront Bank Guarantee against Performance Security shall be taken for a period as mentioned below – (a) Works having Performance Guarantee of 5 Years- Construction Period + 3 Years + 3 Months. (b) Works having Performance Guarantee of 3 Years- Construction Period + 2 Years + 3 Months. (c) Works having Performance Guarantee of 1 Year- Construction Period + 1 Year + 3 Months. It is clarified that in case the construction period of the work is extended beyond the stipulated completion period, the Bank Guarantee against PG shall have to be got extended by the contractor for the relevant period so as to satisfy the validity criteria mentioned above.
30.1	Security Deposit to be deducted from each running bill	At the rate of 5% of gross amount of running bill.	At the rate of 5% of gross amount of running bill.

Clause No.	Particulars	Existing Data	Amended Data
30.2	Maximum limit of deduction of Security Deposit	Upto 5% of the Final Contract Amount.	Upto 5% of the Final Contract Amount.
30.3	Refund of Security Deposit		The total Security Deposit deducted from the running bills shall be refunded (equivalent BG released) only after the completion of the Performance Guarantee Period/Extended Performance Guarantee period, if any.
22	Performance Security valid up to	Valid contract period (stipulated period of completion + DLP) + 3 months.	As provided in the Contract Data.

सहपत्रः— शून्य

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
5/4/2018
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक 1501 / 1246 / 2018 / 19 / यो
भोपाल, दिनांक 06/04/2018

प्रतिलिपिः—

1— प्रबन्ध संचालक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि., भोपाल।
2— परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल।
3— समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.।
4— समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
5— समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
6— समस्त संयुक्त संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
7— समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
8— समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
9— निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

सहपत्रः— शून्य

5/4/2018
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्र0 5037/2007/19/यो
प्रति

भोपाल, दिनांक 27/9/2017

1. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

2. परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
भोपाल।

विषयः– भवन कार्यों की निविदाओं के प्री–क्वालिफिकेशन में निजी कार्य अनुभव की अनुमति।

सन्दर्भः–परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 की टीप क्र0 482/एकल नस्ती/सा/पी0डी0 दिनांक 06.05.2016

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र क्र0 7666/2464/2015/19/यो दिनांक 10.12.2015 से भवन कार्यों हेतु विशेष शर्त अनुमोदित की गई है। राज्य सरकार एतद् द्वारा भवन कार्य के लिए निर्धारित प्री–क्वालिफिकेशन की शर्तों में निविदाकार के निजी क्षेत्र में सम्पन्न किए गए कार्य के अनुभव को भी सम्मिलित किए जाने हेतु नवीन निविदा प्रपत्र के "अपेण्डिक्स–I के अधीन प्रतिस्थापित फॉर्मेट I-1 के फुटनोट पर निम्नानुसार अतिरिक्त फुटनोट जोड़ता है:–

(i) Following building work done (work done for which financial transaction has taken place)within or outside the country, in Indian rupees or equivalent shall also be considered for pre-qualification.

1) Building work done in any non government organisation (private sector) within or outside India.
2) Building work done in subletting contract with a private sector investor as per provisions in the agreement between a government agency and a private sector investor.
3) Building work done by an EPC contractor employed by a BOT concessionaire as per provision in the agreement between a government agency and a concessionaire.
4) Building work done in private sector of special category such as lift, modular O.T., medical gas pipe line, P.A. System, HAVC, light and sound in auditorium or meeting hall, ETP, STP, trussless roof, fire fighting, space frame structure for roof, pre-engineered buildings such as prefab structures or pre-cast building structures.

28 SEP 2017

Aforesaid private work experience in Indian rupees (or equivalent Indian rupees) shall be considered for pre-qualification of building construction work bid, as below:-

a) Building work done means construction cost (not sale price) of building work, excluding cost of land, for which financial transaction has taken place and such amount is duly certified by a Chartered Accountant who has audited the work of the bidder. Chartered Accountant shall also record a statement that he has audited the work.
b) In case of sublet and EPC works, certificate of principal employer is also required.
c) Special category building work experience shall be treated as similar work only for same special category work put to tender.

उपरोक्तानुसार उल्लेखित अतिरिक्त शर्त को दिनांक 01.10.2017 एवं इसके उपरांत आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए लागू किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल

क्र0 5838 / 2007 / 19 / यो

भोपाल, दिनांक 27/9 / 2017

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म0प्र0 रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0।

सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल

Date 11.08.2017

Appendix 2.10
Section 3
Conditions of Contract
Part-II Special Conditions of Contract (SCC)

"Bidder is required to submit financial offer (rates) exclusive of applicable GST. The GST, as per rule, shall be paid to the contractor separately. All relevant conditions in this regard, in the bid document, shall stand superceded by this special condition."

11-8-2017

(Vijay Singh Verma)
Project Director
P.W.D.P.I.U.M.P.

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

: आदेश :

भोपाल, दिनांक 05, अगस्त 2017

क्रमांक एफ 58/15/17/19/यो:माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। सभी वर्क कान्ट्रेक्ट पर अब जी.एस.टी. देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–51/2017/1/4/ दिनांक 24.07.2017 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26.07.2017 में की गई अनुशंसा के बिंदु क्रमांक–(2) के तारतम्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है कि, भविष्य राज्य मद से वित्त पोषित कार्यो हेतु में जो भी निविदाएं आमंत्रित की जाएं, उनमें वित्तीय प्रस्ताव जी.एस.टी. राशि को छोड़कर (exclusive of GST) बुलवाए जाएं एवं देयक भुगतान के समय जी.एस.टी. की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान शासन द्वारा पृथक से ठेकेदार को किया जाए। जी.एस.टी. से पृथक से भुगतान करने हेतु संबंधित निविदाकार/सेवा प्रदाता का जी.एस.टी. में पंजीयन एवं नम्बर(GSTIN) होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा, तथा यह माना जाएगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial offer) में उपरोक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 05, अगस्त 2017

पृ.क्रमांक क्रमांक एफ 58/15/17/19/यो - 4295

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. परियोजना संचालक,(पी.आई.यू.), लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
5. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,(पी.आई.यू.),, लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग .... मण्डल .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग .... संभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
8.. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग।

Prakash 5/8/2017

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. 17–1/2010/19/बी/ आदेश दिनांक /03/2015

::आदेश::

1. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2011 द्वारा म.प्र. शासन के निर्माण विभाग/निगम/मण्डल/बोर्डो में ठेकेदारों के पंजीयन की विभागवार व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन के लिए कार्य विभाग नियमावली 1983 के चेप्टर 2 सेक्शन 16 (2.095 से 2.102) के स्थान पर प्रारूप "अ" प्रतिस्थापित किया गया है। प्रारूप "अ" के बिन्दु क्रमांक 7 में म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 7882/9671/19/यो दिनांक 19.11.1999 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार ठेकेदार के पंजीयन का निचली श्रेणी में अवनत करने (Demotion), रद्द करने (Cancellation), निलंबित करने (Suspension) एवं ठेकेदार के नाम को काली सूची में डालने (Black listing) की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। यह निर्णय लिया गया है कि अब मात्र Suspension अथवा Black Listing की कार्यवाही की जाएगी।

2. संबंधित विभाग/उपक्रम का मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी निम्न परिस्थितियों में ठेकेदार का नाम काली सूची में डालने (Black listing) अथवा उसका पंजीयन निलम्बन करने (Suspension) की कार्यवाही कर सकेगें यदि:–

1. The affidavit/ Self declaration contains any false information or suppresses any material information.
2. Such bidder whose bid is accepted fails to execute the agreement. The suspension will be in addition to forfeiture of his earnest money or any other penalty imposed as per the tender condition.
3. Contractor fails to use mobilization advance given to him for the purpose it was meant.
4. Contractor fails to renew the securities deposited to the department.
5. If documents submitted are found to be false.
6. The contractor is found to be non-serious in executing the agreemented works or leaves the agreemented work incomplete, irrespective of the expiry of the full contract period.
7. The contractor fails to rectify any lapse(s) in quality of the work done within a reasonable time.
8. Contractor fails to maintain/repair/redo the work upto the expiry of performance guarantee period, when it is specifically brought to his notice.
9. On any other ground which is considered reasonable after recording reason.

Note:-

i. During the period of suspension neither his registration will be renewed nor fresh registration will be issued.
ii. Black listed contractor will not be allowed fresh registration or renewal of his registration till order of black listing is revoked or cancelled.
iii. Contractor or firms black listed or suspended or any of it's partner will not be registered under any other name.
iv. Period of suspension should be for a definite period.

3. ठेकेदार का पंजीयन निलंबित करने अथवा नाम काली सूची में रखने का निर्णय सक्षम अधिकारी अपचार की गंभीरता के आधार पर करेंगे।

(सी.पी. अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ.क. एफ 17–1/2010/19/बी/ 244. भोपाल दिनांक 24/3/2015

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय।
3- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई निर्माण भवन भोपाल म.प्र.।
4- समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग
5- आई.टी.सेल कार्या.प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

2057/19
23/3/15

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2025—श्रावण 8, शक 1947

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2025

क्र. 15147-मप्रविस-16-विधान-2025.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) जो विधान सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2025 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

AnyScanner

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,-

(१) अनुच्छेद ५ में, कॉलम (२) में, शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपए" स्थापित किए जाएं.

(२) अनुच्छेद ६ में,-

(एक) खण्ड (ङ) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (छ ख) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए तक है.	एक हजार रुपए
(दो)	यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक है.	दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का ०.२ प्रतिशत.".

(तीन) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ज) यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो,—

(एक)	जहां मूल्य निहित है	न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रुपया,

AnyScanner

(दो)	उपर्युक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामले के लिए	एक हजार रुपए.''.

(३) अनुच्छेद २४ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(४) अनुच्छेद ३२ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(५) अनुच्छेद ३८ के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''(तीन) उपर्युक्त (एक) एवं (दो) के अंतर्गत न आने वाले खनन पट्टों के लिए	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत.''.

(६) अनुच्छेद ४१-क में,-

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''पांच हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(७) अनुच्छेद ४८ में, कॉलम (१) में, स्पष्टीकरण-एक में, शब्द ''नाती'' के पश्चात्, शब्द ''तथा भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व बच्चे'' जोड़े जाएं.

(८) अनुच्छेद ४९ में,-

(एक) खण्ड क के उपखण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड ख के उपखण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(९) अनुच्छेद ५० में,-

(एक) खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

AnyScanner

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ङ) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(पांच) खण्ड (च) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१०) अनुच्छेद ५३ में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(११) अनुच्छेद ६० में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१२) अनुच्छेद ६३ में, खण्ड ख में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) के साथ संलग्न दो अनुसूचियाँ विभिन्न प्रकार के लिखितों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती हैं. अनुसूची-एक उन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि ९१ में प्रगणित हैं, जबकि अनुसूची १-क उन पर, जो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि ६३ में प्रगणित हैं.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित हैं. विद्यमान अनुसूची १-क वर्ष २०१४ में पुनरीक्षित की गयी. इसलिए मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत किया जाना है. तद्नुसार विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन निष्पादित नियत राशि से प्रभार्य लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में वृद्धि की जा रही है. अतएव भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क के विभिन्न अनुच्छेदों में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक २७ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

AnyScanner

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–53/02/2011/यो/19/524 भोपाल, दिनांक 14/02/2025

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक–एफ–53/02/2011/यो/19/2022 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022 में अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी की राशि की गणना के लिए उल्लेखित गणितीय विधा के बिन्दु क्रमांक 3(अ) एवं 3(ब) में निम्नानुसार संशोधन उपरांत प्रतिस्थापित किया जाता है:–

3.1 निविदा में 10 प्रतिशत कम दर प्राप्त होने पर कोई अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि नहीं लिया जाना है।

3.2 निविदा में 10 से 20 प्रतिशत तक कम दर आने पर निविदा दर 10 प्रतिशत से बढ़कर जितने प्रतिशत कम होगी PAC राशि का उतना प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि निम्नानुसार होगी:–

उदाहरण– यदि निविदा की अनुमानित लागत (PAC) Rs. 100.00 लाख है, तथा सफलतम निविदाकार की दर 14 प्रतिशत Below SOR हो तो अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की गणना निम्नानुसार होगी:–

एफ.डी.आर. के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि:–

Probable Amount of Contract (PAC)X Rates Below SOR Beyond 10%=100 (14%-10%)= Rs. 4.00 लाख

3.3 निविदा में 20 प्रतिशत से अधिक कम दर (RATES BELOW SOR BEYOND 20%) आने पर निविदा दर आने पर गणना निम्नानुसार होगी:–

उदाहरण– यदि निविदा की अनुमानित लागत (PAC) Rs. 100.00 लाख है तथा, सफलतम निविदाकार की दर 24 प्रतिशत Below SOR हो तो अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की गणना निम्नानुसार होगी:–

एफ.डी.आर. के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि:– A+B

A. Probable Amount of Contract X1 x Rates Below SOR Beyond 10% upto 20%) = 100x1x (10%) = Rs. 10.00 लाख

B. Probable Amount of Contract X Rates Below SOR Beyond 20% = 100x2x (4%) = Rs. 8.00 लाख
अर्थात कुल अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि– (A+B)= Rs. 18.00 लाख

3.4 ऐसे अनुबंध मे जिनमें 10 प्रतिशत कम दर की सीमा से अधिक कम दरों पर अनुबंध निष्पादित किये जाने उन अनुबंधित कार्यो के पूर्ण होने के उपरांत उनके अंतिम देयको का भुगतान संबंधित अधीक्षण यंत्री के निरीक्षण उपरांत संतोषजनक पाये जाने पर तदानुसार अधीक्षण यंत्री द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात ही किए जावे।

3.5 उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य स्थल पर स्थापित बैच मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स कांक्रीट (RMC) प्लांट का अधीक्षण यंत्री के द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरांत ही कार्य प्रारंभा किया जावे।

3.6 राशि रूपये 2.00 से 10.00 करोड़ तक के कार्यो के लिये स्थल पर स्थापित लेबोरेट्री का निरीक्षण अधीक्षण यंत्री के द्वारा तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के कार्यो के लिये स्थापित लेबोरेट्री का निरीक्षण मुख्य अभियंता द्वारा किये जाने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जावे।

अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की एफ.डी.आर. कार्यपूर्णता के उपरांत ही विमुक्त की जा सकेगी।

14/2/25

(ए. आर. सिंह)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ. कमांक–एफ–53/02/2011/यो/19/525 भोपाल, दिनांक 14/02/2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, (सड़क/पुल) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. भवन विकास निगम भोपाल।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
6. समस्त मुख्य अभियंता, (सड़क/पुल) लोक निर्माण विभाग।
7. समस्त मुख्य अभियंता, (भवन) लोक निर्माण विभाग।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश।
10. कार्यपालन यंत्री, (भवन) लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/2/25

उप सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by BHANU PRAKASH GANGOLIYA
Date: 2025.05.08 16:37:12 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक – 2582479/2025/19/यो - 813 भोपाल दिनांक 25.03.2025

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल कार्यों के निविदाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्री–क्वालीफिकेशन के संबंध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रं.– एफ–58/7/2015/19/यो भोपाल दिनांक 17.04.2015

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्माण कार्यों की निविदाओं में प्री–क्वालीफिकेशन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.04.2015 के बिन्दु क्रमांक–1(ii) में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन जारी करता है:–

"भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों में रू. 5 करोड से अधिक की निविदा, के स्थान पर रू. 2.00 करोड से अधिक की निविदाओ में निविदा पूर्व अर्हता (Pre-Qualification) की शर्त लगाई जावें।"

उपरोक्तानुसार जारी संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/3/25
(ए.आर.सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ0क्रमांक 2582479/2025/19/यो 814 भोपाल दिनांक 25.03.2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Validity unknown
Digitally signed by DEVENDRA KUMAR JAIN
Location: Madhya Pradesh

Signature Not Verified
Digitally signed by ADITYA SONI
Date: 2026.05.15 15:18:21 IST
Location: Madhya Pradesh-MP